अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, चाण्डिल

बैधनाथ धिवर
बनाम
खेपा कुम्हार एवं अन्य

धारा– 144 द0प्र0स0 मिस केस न0– 159/2020

–: आदेश :–

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3
10.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के बैधनाथ धिवर, पिता– स्व0 लाल धिवर, ग्राम– सुकसारी, थाना– चाण्डिल, जिला– सरायकेला–खरसावाँ द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें उल्लेख है कि द्वितीय पक्ष के खेपा कुम्हार एवं अन्य के द्वारा आवेदक के भूमि पर दखल की नियत से निमार्ण कार्य किया जा रहा है। अतः उभय पक्षों के बीच शांति भंग होने की संभावना से संतुष्ट होकर उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। **<u>विवादित भूमि का विवरण</u>** मौजा– तिरूलडीह, थाना नं0– 241, खाता सं0– 23, प्लॉट सं0– 83, रकवा– 0.0266 ए0 एवं प्लॉट सं0– 90, रकवा– 0.07 ए0 जिसकी चौहदी– उ0– रामु मांझी, द0– सड़क, पू0– नीज, प0– पांडु मांझी। आवेदक के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से विवादित भूमि से संबंधित विक्रय दलील सं0– 3818, दिनांक– 14.12.1990 की छायाप्रति नामांतरण मुकदमा सं0– 132/93–94 की छायाप्रति संलग्न किया गया है एवं बताया गया कि विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष के खेपा कुम्हार एवं अन्य द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष के खेपा कुम्हार एवं अन्य द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई है। द्वितीय पक्ष के द्वारा विवादित भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का दास्तावेज एवं कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया है। अतः अभिलेख में धारित कागजातों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि	

उक्त विवादित भूमि प्रथम पक्ष के बैधनाथ धिवर के पिता– स्व0 लाल धिवर, ग्राम– सुकसारी, थाना– चाण्डिल, जिला– सरायकेला–खरसावाँ द्वारा क्रय की गई भूमि है एवं उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष द्वारा कृषि कार्य किया जाता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ की उक्त विवादित भूमि पर द0प्र0सं0 की धारा–144 के तहत लगाई गई निषेद्याज्ञा प्रथम पक्ष के विरूद्ध मुक्त करते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्ध संपुष्ट किया जाता है।

उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है एवं अभिलेख बंद किया जाता है।

लेखापित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चाण्डिल।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चाण्डिल।